श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, क्या लीडर आफ द हाउस इस सत्र के खतम होने से पहले जिस नतीजे पर भी पहुंचें उसकी खबर लेकर हाउस में तशरीफ लाएंगे?

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ - کیا لیڈر آف دہ ہاؤس اس سشن کے ختم ہونے سے پہلے جس نتیجہ پر بھی پہنچیں اس کی خبر لے کر ہاؤس میں تشریف لائیں گے -

श्री एस. बी. चव्हाण : यह डिपेण्ड करता है उसके सारे इम्पलीकेशन पर . . . . **(व्यवधान)** . . . . .

श्री सिकन्दर बख्त : नहीं, सत्र के खत्म होने से पहले जो कुछ मालूम हो जाए ।

شری سکندر بخت : سشن کے ختم ہونے سے پہلے جو کچھ معلوم ہو جائے -

श्री एस. बी. चव्हाण : अगर हो सके, मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन मैं आपको यह वायदा नहीं कर सकता हूं कि यह सत्र खतम होने से पहले मैं आपके सामने आऊंगा।

श्री सिकन्दर बख्त : जितना भी नतीजा हो, पूरे तौर से न भी हो, सत्र खतम होने से पहले तशरीफ लाएं तो अच्छा होगा।

شری سکندر بخت : جتنا بھی نتیجہ ہو - پورے طور سے نہ بھی ہو سشن ختم ہونے سے پہلے تشریف لائیں تو اچھا ہوگا -

†[ ] Transliteration in Arabic script.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh) : Madam, it is a very important matter. I think the Government has to convene the National Integration Council to discuss this vital matter. There should also be a wider consultation among political parties. After that, taking into account the background and the present facts, the Government has to make a statement here not only to discuss it in this House but to educate the people all over the country about the unity and the integrity of the country. Of course, we give those people the benefit of doubt whether they want actual secession or something like that. Though you give them that benefit, there should be clarity of views in the House and outside the House so that the country's unity can be protected.

Rendering Justice to Victims of 1984 Riots

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभापति महोदया, इसे संयोग ही कहूंगी कि जो मसला मैं उठा रही हूं शून्यकाल के दौरान आपकी अनुमति से, वह भी सिख समुदाय से जुड़ा है, लेकिन यह मसला उनकी वेदना और उनके प्रति होने वाले अन्याय से जुड़ा है। आपको याद होगा, महोदया, कि सन् 1984 के नवंबर महीने में देश की राजधानी में जो क्रूरता का नंगा नाच हुआ था, विश्व में उसका कोई सानी नहीं हो सकता। . . **(व्यवधान)** . . . . .

महोदया, मैं कह रही थी कि 1984 के नवंबर महीने में जिस तरह की सिख विरोधी भावनाएं भड़का करके, केशधारी बंधुओं को जलाया गया, मारा गया, सरेआम गले में टायर डालकर के आग लगाई गई। उनकी सम्पत्तियों को लूटा गया, उस घटना की याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते

हैं और माथा शर्म से झुक जाता है। लेकिन साढ़े नौ वर्ष बीत गए इस घटना को, 1984 में घटना घटी थी आज 1994 हो गया, उस समय की दंगा-पीड़ितों से दर-दर पे गुहार की है अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए, अपने प्रति न्याय प्राप्त कराने के लिए लेकिन सिवाय सरकारी आश्वासनों के कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ। आश्वासनों की हालत तो यहां तक है कि संसद के सदन में फर्श पर खड़े होकर दिसम्बर, 1993 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट जी ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि अभियुक्त चाहे कोई भी हो, हम 1984 के दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, आज इस बात को भी करीब डेढ़ साल गुजर गए।

महोदया, पहली बार दिल्ली की वर्तमान निर्वाचित सरकार ने अपने तई पहल की है और आगे बढ़कर उन अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए केस दर्ज कराने का मामला लेकर के इस समय के वर्तमान मुख्य मंत्री गए, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजाए इसके कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से इन केसिस में और गति लाने के निर्देश दिए जाते, केन्द्रीय सरकार की तरफ से उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है। उस समय के उप राज्यपाल ने अपनी तरफ से एक कमेटी स्थापित की थी—जैन-अग्रवाल समिति, और जैन-अग्रवाल समिति में दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जे. डी. जैन और रिटायर्ड डी. जी. पुलिस थे श्री डी. के. अग्रवाल, दोनों सदस्यों ने एक यूनेनिमस रिपोर्ट दी और उन्होंने . . (समय की घंटी) . . उन्होंने 21 मामलों की पहचान करके यह बताया कि इन 21 मामलों में तुरंत केस रजिस्टर होने चाहिए और आगे जांच की जानी चाहिए। 1992 से वे केसिस दर्ज करने के लिए पड़े हैं। पहली बार जब दिल्ली सरकार ने कहा कि केसिस को भेजो, सदन को चौंकाने वाली बात मैं बता रही हूं, तो सी. बी. आई. ने बंडल भेजे हैं, फाइलें नहीं। अभी तक उन केसिस की फाइलें नहीं खोली गईं, बंडल बने हुए हैं और बंडल के बंडल यहां सरकार को भेज दिए। मुख्य मंत्री ने जाकर के उप राज्यपाल से सहमति मांगी, उप राज्यपाल साहब ने सहमति प्रदान कर दी और उन्होंने कहा कि 21 केसिस दर्ज कर दिए जाएं लेकिन हम लोग स्तब्ध रह गए कि इस मामले को गए हुए भी आज महीना भर हो गया, बजाए इसके कि वे केसिस दर्ज करके कार्रवाई आगे चलती, एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ और जब उप राज्यपाल साहब से पूछा गया तो उन्होंने ऐसा मौन साध लिया, न वह न करते हैं, न हां करते हैं। इससे संशय हो रहा है कि केन्द्र सरकार पीछे से संकेत कर रही है, इशारा कर रही है, अड़ंगे डाल रही है और जो न्यायिक प्रक्रिया दिल्ली की वर्तमान सरकार प्रारम्भ करना चाहती है, उसके बीच में व्यवधान डाल रही है।

इसीलिए मैंने सदन में यह मामला उठाया है कि ताकि पूरे का पूरा सदन मानवीय संवेदना का हवाला देते हुए, इन्सानियत का हवाला देते हुए, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कम से कम केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करे और मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप अपने अच्छे प्रभाव का इस्तेमाल करके केन्द्र सरकार से अनुरोध करें कि वह निर्देश दे, सी.बी.आई. को कि यह जो केसिस दर्ज कराने के लिए दिल्ली सरकार ने पहल की है, वे जल्दी से जल्दी दर्ज कराए जाएं ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके, अभियुक्तों को सजा मिल सके।

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, तफसीलात की बात तो अलेहदा है, मगर केस रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, हद हो गई है। केसिस क्यों नहीं रजिस्टर हो रहे हैं?

†[نیتا ورودھی دل "شری سکندر بخت": صدر صاحبہ - تفصیلات کی بات تو علیٰحدہ ہے مگر کیس رجسٹر کیوں نہیں ہو رہے ہیں - ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں - حد ہو گئی ہے - کیس کیوں نہیں رجسٹر ہو رہے ہیں -]

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): मैडम, यह बहुत ही गंभीर मामला है। हजारों बच्चे अनाथ हो गए, कई विधवाएं दर-बदर घूम रही हैं दिल्ली की सड़कों पर। लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं यह चाहती हूं कि हमारे गृह मंत्री महोदय इस बारे में एक बयान लेकर सदन में आए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है? दस वर्ष बीत गए और दस वर्षों से सरकार चुपचाप बैठी है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

श्री जलालुद्दीन अंसारी : सरकार को बयान देना चाहिए कि क्यों केस दर्ज नहीं किए जा रहे हैं?

†[شری جلال الدین انصاری: سرکار کو بیان دینا چاہیئے کہ کیوں کیس درج نہیں کئے جا رہے ہیں -]

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : मैडम, इस मामले को; जो सुषमा स्वराज जी ने . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : गृह मंत्री को कुछ कहना चाहिए, इतना गंभीर मामला है। . . **(व्यवधान)** . .

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली : महोदया, मैं एसोसिएशन के लिए . . . **(व्यवधान)** . . . .

SHRI IQBAL SINGH (Punjab): Madam, my name is there.

उपसभापति : एक बात मुझे निराशा करती है कि अगर आपको हर चीज को एसोसिएट करना है तो फिर ठीक है एसोसिएट करें।

I know that the permission has been given. But I can withdraw that because you have already associated yourself with the first Mention.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : महोदया, मैंने जो पहले मुद्दा . . **(व्यवधान)** . . उसी वक्त मैंने कहा . . **(व्यवधान)** . . एक मिनट, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं। . . **(व्यवधान)** . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Then I have to allow everybody. Everybody will say, one minute. Shri Iqbal Singh will say, one minute. Prof. Vijay Kumar Malhotra will say, one minute. They let only this issue be discussed by the House today. If it is the will of the House, I agree. Is it the will of the House? . . . *(Interruptions)* . . .

आप बोल चुके हैं इस पर। बैठिए . . . **(व्यवधान)** . . आप बोल चुके हैं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : मैं सिर्फ यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि बार-बार इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाता है। हर बार राजनीतिकरण . . **(व्यवधान)** . .

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : इस मामले को राजनीतिकरण कहकर, इसको दबाया जाता है . . (**व्यवधान**) . .

प्राईम-मिनिस्टर ने कांस्टीट्यूशन की शपथ ली है, होम-मिनिस्टर ने कांस्टीट्यूशन की शपथ ली है, उपराज्यपाल ने कांस्टीट्यूशन की शपथ ली है। फिर यहां कांस्टीट्यूशन की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं . . . (**व्यवधान**) . . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is also permitted. . . . (*Interruptions*) . . . He is permitted.

(*Interruptions*)

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस के लोगों को बचाने के लिए यह . . (**व्यवधान**) .

श्री एस. एस. अहलुवालिया : कोई भी सरकार इसके खिलाफ नहीं है। किसी सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस पार्टी के लीडर को बचाने के लिए उपराज्यपाल महोदय . . (**व्यवधान**)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : 1990 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी और उस समय सारा विपक्ष एक साथ बैठा था। उस पर क्या कार्यवाही की गई? महोदया, मेरा कहना है कि अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट और जैन कमीशन की रिपोर्ट पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। यह डिमांड हमारी पार्टी के अंदर भी रही है और पार्टी के बाहर भी हम कई बार बोल चुके हैं . . (**व्यवधान**) . .

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Why is the Home Minister silent on this issue?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): We cannot discuss what is going on in the Delhi Assembly?

(*Interruptions*)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : महोदया, हमने कई बार मांग की है कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाना चाहिए . . (**व्यवधान**) . .

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, क्या कर रहे हैं ये

What is he saying?

राजनीतिकरण से क्या मतलब है?

Let the Courts decide.

केसेस रजिस्टर होने चाहिए और वहां अगर कोई बेगुनाह होगा तो साबित हो जाएगा। राजनीतिकरण क्या है . . (**व्यवधान**) . . . . .

श्री एस. एस. अहलुवालिया : इसका राजनीतिकरण मत करिए, मखौल मत करिए । उन विधवाओं से, उन अनाथ बच्चों के साथ मखौल मत करिए . . (**व्यवधान**) . . उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं आप . . . (**व्यवधान**) . . . . .

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस के लोगों को सी. बी. आई. अरेस्ट करने के लिए गई तो एलाऊ नहीं किया . . (**व्यवधान**) होम-मिनिस्टर ने क्यों रोक रखा है (**व्यवधान**) . . . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order. Iqbal Singh, . . (*Interruptions*) . . . His name is there . . . (*Interruptions*) . . . His name is there.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : May I say something, Madam ?

उपसभापति : होम-मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं।

SHRI S. B. CHAVAN : Madam, it is very unfortunate that legal issues are also being exploited for all kinds of purposes. I won't say that it is used for political purposes, but the fact remains that allegations have been made against the Government of India that ...(*Interruptions*)... Do you have anything with you?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Yes.

SHRI S. B. CHAVAN You must have sufficient proof at your disposal before you make any allegation. I can say without any fear of contradiction that we have never resisted registration of cases ...(*Interruptions*)... I don't bother about ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down. When the Leader of the House speaks, courtesy demands that you should listen ...(*Interruptions*)... You are not the Leader of the House. He is saying something, you listen to it. If you want to answer, you take my permission. This is not the way. Please learn something from this House. When the Leader of the House and the Leader of the Opposition speak, we try to maintain peace in the House. Okay? Let him speak ...(*Interruptions*)...

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : 10 साल से लोग मर रहे हैं ..(**व्यवधान**)..

उपसभापति :

What is this ? I say, keep quiet.

आप पर कोई असर ही नहीं होता, आपको कितना भी कहो..(**व्यवधान**) आप चुप ही नहीं रहते। मैंने कहा बैठ जाइए..(**व्यवधान**)

Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)...

Nothing is going on record.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA*:

SHRI V. NARAYANASAMY* :

SRHI S. S. AHLUWALIA* :

SHRI KAILASH NARAIN SARANG* :

SHRI NARAIN PRASAD GUPTA* :

SHRI GOVINDRAM MIRI* :

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order ...(*Interruptions*)... That matter is over. Shri Ramdas Agarwal.

(*Interruptions*)

Sit down. ...(*Interruptions*)

कोई चीज रिकार्ड पर नहीं जाएगी ।

Nothing is going on record. (*Interruptions*)... Nothing is going on recrod. So, you say what you like. (*Interruptions*)... Everything is over. (*Interruptions*)... That matter is over. Ramdas Agarwalji, aap boliye.

REPORT OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE REGARDING THE DISINVESTMENT OF SHARES OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी पिछले कुछ दिन पूर्व एकाउंट्स कमेटी का 75वां प्रतिवेदन सदनों में रखा गया था ..(**व्यवधान**)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu) : How can he talk

*Not recorded.